

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1745 / 2019

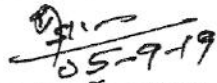
दिनांक 05.09.2019

श्रीमती रश्मि आर्य (RJ0614), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02, जालोर को दिनांक 05.08.2019 से 06.08.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती आर्य की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर / अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 01, जालोर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02, जालोर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


05-9-19

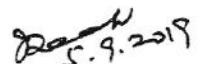
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/71/2008/ 8431

दिनांक 05.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को उनके पत्रांक 3666 दिनांक 09.08.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रश्मि आर्य (RJ0614), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02, जालोर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02, जालोर।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 01, जालोर।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर।


5.9.2019
सहायक रजिस्ट्रार